तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/3/26	आरते कोर्ड 15/4/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
/26.	पत्रा. पेश। वादी ने वाद धारा 188 RT Act के तहत दायर किया है। वादी का कथन है कि ग्राम बुधखान तहसील रामगंजमंडी ख.नं. 592, 593, 594, 595 कुल 0.36 हैक्टयर पर रामनारायण, भागीरथ, प्रेमबाई व भवानीबाई का नाम दर्ज है। भागीरथ और भवानीबाई की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी 2 मृतक भागीरथ को अपना पति बताकर भागीरथ के हिस्से की आराजी पर अपना हक जता रही है। इनके विरुद्ध वादी को स्थाई निषेधाज्ञा चाहिए। इसके विपरीत प्रतिवादी 2 का जवाब व counter claim यह है कि वह भागीरथ की वास्तविक पत्नी है। भागीरथ की पहली पत्नी भरोसीबाई ने भागीरथ को छोड़कर नाता विवाह कर लिया। इसके बाद भागीरथ ने प्रति. 2 के साथ विवाह कर लिया। भागीरथ की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के जरिए प्रतिवादी 2 का नाम तस्दीक होना चाहिए था। प्रतिवादी की प्रार्थना है कि उनको भागीरथ के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाए व रामनारायण (वादी) को बेदखल कर उनको कब्जा दिलाया जाए व वादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा दी जाए। वादी व प्रतिवादी की तरफ से दस्तावेज पेश किए गए। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है – जमाबंदी सम्वत 2069-2072 ग्राम बुधखान ख.न. 592, 593, 594, 595 में रामनारायण, भागीरथ, प्रेमबाई व भवानीबाई का 1/4 हिस्सा दर्ज है) जमाबंदी सम्वत 2004-2024 से यह भी स्पष्ट होता है कि भागीरथ का हिस्सा खसरा न. 623, 624 से धापूबाई W/o राजमल को बेच दिया गया था। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रेमबाई, भागीरथ व रामनारायण के खाते ही है। वादी एवं प्रतिवादी को भागीरथ के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की आराजी पर अधिकार फौती इन्तकाल खुलवाने के पश्चात ही मिलेगा।
वादी का कथन है कि भागीरथ की पत्नी व बच्चे नही है इसलिए वही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त कर रहा है।
जब तक वादी भागीरथ के हिस्से की आराजी स्वयं के नाम नही करवाता, तब तक उसे उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।
स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार खातेदार प्रमाणित होने के बाद ही वादी को दिया जा सकता है।
अत: तनकी 1 व 2 प्रतिवादी के पक्ष में नही जाती।
प्रतिवादी 2 का यह counter claim है कि वह भागीरथ की पत्नी है अत: भागीरथ के हिस्से का अधिकार रखती है।
प्रतिवादी ने दावे में अपने पुत्र व पुत्री को पक्षकार नहीं बनाया है। यदि वह भागीरथ के संतान है तो उक्त आराजी पर वैध विभाजन है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रतिवादी 2 ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसने बजरंगलाल को तलाक नहीं दिया व गोविंद & प्रिया बजरंगलाल के संतान है। अतः बिना बजरंगलाल को तलाक दिए वादी भागीरथ के साथ रही। अतः वादी प्रतिवादी 2 के खातेदारी अधिकार साबित नहीं होते है तनकी 3 & 4 प्रतिवादी साबित नहीं कर पाए है अतः वादग्रस्त भूमि पर ~~प्रतिवा~~ वादी का कब्ज़ा तो है परन्तु इन्होंने भागीरथ के हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किए है। अतः वादी का वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रतिवादी 2 का counter claim भी साबित नहीं हुआ है। निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी 15/04/2026 रामगंजमण्डी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ...ण्डी जिला कोटा (राज.)